संख्या -02/2026/197/58-2-2026-2010745

प्रेषक

प्रभंजन यादव

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक

प्रसंस्करण विभाग

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक 12-03-2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-20401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-06-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टर्स का संचालन हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0-200.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-55.60 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-148/बजट/खाद्य/2025-26 दिनांक 17.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-20401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-06-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टर्स का संचालन हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0-200.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-55.60 (रूपये पचपन लाख साथ हजार मात्र) को अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नमलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए की गयी हैं लागत की मात्राओं को कार्य के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक खाद्य प्रसंस्करण का होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशा0 विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

http://shasanadesh.gov.in

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
(7) धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिस पर ब्याज अर्जित होता है तो ब्याज निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व उत्तरदायित्व निदेशक खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक खाद्य प्रसंस्करण का होगा।
(8) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को निदेशक/वित्ति नियंत्रक खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
(9) जिन मामलों में उप्र बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निदेशक/वित्ति नियंत्रक खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190600 (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190600 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन	09 विद्युत देय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	010	2401001190600 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	010	2401001190600 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन	42 अन्य व्यय	50,00, 000 (रुपये पचास लाख मात्र)
4	010	2401001190600 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)

http://shasanadesh.gov.in

	कुल		**55,60,000** **(रुपये पचपन लाख साठ हजार मात्र)**
महायोग			**55,60,000** **(रुपये पचपन लाख साठ हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-323-X-2025-26.दिनांक 11-3-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभंजन यादव)
उप सचिव।

संख्या-02/2026/197/58-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(प्रभंजन यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.gov.in